

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

वेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ए
चण्डीगढ़-160030
दिनांक 08.08.2016

फाईल नम्बर:-9-HRB117/2016-CHA

सेवा में

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ.सी.)
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हरियाणा सरकार,
C-18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा ।

विषय:- Diversion of 0.083 ha of forest land for the development of 100 KW Chandimandir Mini Hydro Project on Jhajra, Kaushalya and Ghaggar river, under Forest Division Morni Pinjore and District Panchkula, Haryana

संदर्भ:- 1. नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (FC) के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-6758/1813 दिनांक 01.09.16

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए 0.083 ha hec. वन भूमि की मांग की गई है।

2 कृपया इस प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित आवश्यक जानकारी भेजने का कष्ट करें ।

- i) Duly filled up Part I of form A by user agency.
- ii) Total area required for diversion be confirmed. Break up area in layout plan at p-45 shows that the area requirement is 0.1195 ha whereas other documents shows 0.083 ha.
- iii) Correct Site suitability certificate.
- iv) Copy of Techno-Economic clearance.
- v) NOC from fisheries department.
- vi) NOC from Haryana Pollution Control Board.
- vii) NOC from PWD.

3. ऊपर की गई पूछताछ का जवाब जल्द भेजें ताकि इस प्रस्ताव पर अगली REC Meeting में चर्चा की जा सके ।

भवदीय


(सोम दत्त शर्मा)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. Divisional Forest Officer, Forest Division Morni Pinjore & Distt. Panchkula Haryana.
2. The Chief Scientific Engineer, REDA, Akshay Urja Bhawan, Sector 17, Panchkula, Haryana